न्यायालय अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट एवं न्याय निर्णयन अधिकारी, सिरोही
(पीठासीन अधिकारीः डॉ. राजेश गोयल, आर.ए.एस.)

आवेदक

श्री दिलीप सिंह, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही

बनाम

प्रतिवादी / अभियुक्तगण

1. राजुसिंह पुत्र जीवनसिंह जी रावत, मैनेजर, मैसर्स होटल अनन पैलेस, छापरी चैक पोस्ट के पास, सुरपगला, तहसील– आबूरोड़, जिला– सिरोही
2. Rakesh Lalwani, प्रोपराईटर, मैसर्स होटल अनन पैलेस, छापरी चैक पोस्ट के पास, सुरपगला, तहसील– आबूरोड़, जिला– सिरोही

F.S.S.Act Case No. 08/2025

"अन्तर्गत धारा 26 की उपधारा 2(ii) एवं धारा– 51 खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006"

उपस्थितिः

अधिवक्ता श्री शैतान खरोर, प्रतिवादी अभियुक्तगण की ओर से

–: निर्णय :– **दिनांक 28 नवम्बर, 2025**

(1) संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है। आवेदक श्री दिलीप सिंह, खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा यह न्याय निर्णयन आवेदन प्रतिवादी अभियुक्तगण के विरुद्ध आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री दिलीप सिंह द्वारा दिनांक 10–8–2024 को मैसर्स होटल अनन पैलेस, छापरी चैक पोस्ट के पास, सुरपगला, तहसील– आबूरोड़, जिला– सिरोही में प्रतिवादी मैनेजर राजुसिंह पुत्र श्री जीवनसिंह जी रावत से खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत वास्ते नमूना जांच कीमतन क्रय किये गये खाद्य पदार्थ पनीर का नमूना संख्या S-2364, खाद्य विश्लेषक, जोधपुर की जांच रिपोर्ट क्रमांकःL.S./1189/Act/2024/1231 दिनांक 23–8–2024 में अमानक (sub-standard) पाया जाने से खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) व धारा 51 के तहत प्रस्तुत कर प्रतिवादी अभियुक्तगण पर शास्ति (Penalty) अधिरोपित करने का अनुरोध किया गया है।

(2) प्रस्तुत न्याय निर्णयन आवेदन को दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी अभियुक्तगण को विधिवत नोटिस जारी कर तामिल करवाया गया। प्रकरण की सुनवाई के दौरान प्रतिवादीगण की ओर से अधिवक्ता श्री शैतान खरोर उपस्थित हुए एवं प्रतिवादीगण की ओर से जबाव प्रस्तुत किया।

(3) प्रकरण में बहस हेतु नियत तिथि 26–11–2025 को आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी उपस्थित नही हुये। प्रतिवादी अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता श्री खरोर ने बहस के दौरान जबाव में अंकित कथनों की ओर ध्यारन आकर्षित करते हुए यह व्यक्त किया कि श्री दिलीप सिंह, आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने प्रतिवादी मैनेजर राजुसिंह से प्रतिवादी राकेश ललवाली की प्रोपराईटरी फर्म मैसर्स होटल अनन पैलेस, छापरी चैक पोस्ट के पास, सुरपगला, तहसील– आबूरोड़, जिला– सिरोही से दिनांक 10–8–2024 को जांच हेतु कोई पनीर नही खरीदा है, केवल मात्र खाली कागजों पर हस्ताक्षर करवाये थे। कोई बिल भी प्रतिवादी राजुसिंह से नही लिया है। जिस पनीर का नमूना जांच हेतु लिया है वह प्रतिवादी राकेश ललवानी की होटल से नही खरीदा गया है, केवल मात्र प्रशासनिक दबाव बनाने के लिये प्रतिवादीगण को झूठा फंसाया गया है। न्यायालय चाहे तो उस दिन की सी.सी.टी.वी. फुटेज मंगवाकर की जांच कर सकता है। अतः आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी, सिरोही द्वारा प्रतिवादी अभियुक्तगण के विरुद्ध प्रस्तुत न्याय निर्णयन आवेदन को खारिज किया जावे।

......पेज दो पर

अति. जिला मजिस्ट्रेट
सिरोही–307001.

(3) पत्रावली तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का गंभीरतापूर्वक अध्ययन एवं अवलोकन से यह स्पष्ट है कि श्री दिलीप सिंह, आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी, दिनांक 10—8—2024 को 01—00 पी.एम. पर खाद्य पदार्थो के निरीक्षण हेतु मैसर्स होटल अनन पैलेस, छापरी चैक पोस्ट के पास, सुरपगला, तहसील— आबूरोड़, जिला— सिरोही पर गये, वहां पर मैनेजर की हैसियत से प्रतिवादी राजुसिंह पुत्र जीवनसिंह जी रावत उपस्थित मिले। श्री दिलीप सिंह, आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा मैसर्स होटल अनन पैलेस, छापरी चैक पोस्ट के पास, सुरपगला, तहसील— आबूरोड़, जिला— सिरोही के निरीक्षण के दौरान मैसर्स होटल अनन पैलेस, छापरी चैक पोस्ट के पास, सुरपगला, तहसील— आबूरोड़, जिला— सिरोही में खाद्य सामग्री निर्माण स्थल पर एक फ्रीज में लगभग 4 (चार) किलोग्राम खाद्य पदार्थ पनीर, आमजन के उपयोग हेतु खाद्य सामग्री बनाने हुए रखा पाया, जिसमें मिलावट का शक होने पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत जांच हेतु नमूना लेने की इच्छा जाहिर करते हुए इसकी सूचना प्रपत्र 5ए में प्रतिवादी मैनेजर राजुसिंह पुत्र जीवनसिंह जी रावत को गवाह श्री मनीषपाल सिंह, वरिष्ठ सहायक, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही के समक्ष भरकर दी एवं रसीद प्राप्त की। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री दिलीप सिंह ने मैसर्स होटल अनन पैलेस, छापरी चैक पोस्ट के पास, सुरपगला, तहसील— आबूरोड़, जिला— सिरोही में खाद्य निर्माण स्थल पर फ्रीज में रखे हुए लगभग 4 (चार) किलोग्राम खाद्य पदार्थ पनीर में से 800 ग्राम को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत नमूना जांच हेतु एक साफ, सूखे व खाली बर्तन में खरीदा एवं उसकी कीमत राशि रुपये 300/— (रुपये तीन सौ मात्र) प्रतिवादी मैनेजर राजुसिंह पुत्र जीवनसिंह जी रावत को नकद अदा कर क्रय किया एवं खरीद रसीद/बिल प्राप्त किया। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने खरीदशुदा, 800 ग्राम पनीर को प्रतिवादी मैनेजर राजुसिंह पुत्र जीवनसिंह जी रावत व उक्त गवाह के समक्ष हिलामिलाकर एकरुप कर चार साफ, सूखी व खाली बोतलों में बराबर बराबर मात्रा में भरा एवं प्रत्येक शीशी में फार्मेलीन की 20—20 बूंदे डालकर खरीदशुदा पनीर की प्रत्येक नमूना बोतल को ढक्कन लगाकर एयरटाईट बन्द किया। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री दिलीप सिंह ने लेबल तैयार कर लेबल पर अभिहित अधिकारी (मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही) के कोड एवं क्रमांक S-2364, दिनांक, स्थान, खाद्य पदार्थ पनीर आदि अंकित कर उस पर प्रतिवादी मैनेजर राजुसिंह पुत्र जीवनसिंह जी रावत व उक्त गवाह के हस्ताक्षर कराये एवं स्वयं आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री दिलीपसिंह ने हस्ताक्षर किये। तत्पश्चात् आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री दिलीपसिंह ने खरीदशुदा खाद्य पदार्थ पनीर के चारों नमूना बोतलों पर एक—एक लेबल गोंद से चिपकाया और खरीदशुदा पनीर की चारों नमूना बोतलों को अलग—अलग कागज में लपेट कर, प्रत्येक नमूने को धागे से बांध कर नियमानुसार सील चपडी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर प्रतिवादी मैनेजर राजुसिंह पुत्र जीवनसिंह जी रावत तथा उक्त गवाह के हस्ताक्षर कराये व स्वयं आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री दिलीप सिंह ने हस्ताक्षर किये। तत्पश्चात् चारों नमूना भागों को आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने कब्जे/जाप्ते में लिया तथा मौका रिपोर्ट तैयार की, जिस पर प्रतिवादी मैनेजर राजुसिंह पुत्र जीवनसिंह जी रावत व उक्त गवाह तथा श्री दिलीप सिंह, आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी के हस्ताक्षर है। तत्पश्चात् आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने कार्यालय में पॅहुचकर फार्म नम्बर VI की प्रतियां तैयार की व उस पर नमूनें को सील्ड करते समय काम में ली गई सील की छाप अंकित की। नमूना के चारों भागों के साथ फार्म नम्बर VI की एक—एक प्रति लगाकर चारों नमूना भागों को आउटर कवर में बंद किया व नियमानुसार सील चपडी किया तथा फार्म नम्बर VI की दो—दो प्रतियां, दो लिफाफो में

.....पेज तीन पर

प्रति. जिला मजिस्ट्रेट
सिरोही—307001

अलग–अलग बन्द कर गोंद से चिपकाकर लिफाफों को सील चपडी किया। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री दिलीप सिंह ने दिनांक 13–8–2024 को नमूनें का एक भाग व फार्म नम्बर 6 का एक सील बन्द लिफाफा, श्री सिद्धार्थ तोमर, कार्मिक, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही के द्वारा खाद्य विश्लेषक, जोधपुर को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की एवं शेष तीन नमूना भाग व फार्म नम्बर 6 का सील बन्द लिफाफा अभिहित अधिकारी (मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही) को दिनांक 10–8–2024 को ही जमा करवाकर रसीद प्राप्त की। इस प्रकार, पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री दिलीप सिंह, खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा मैसर्स होटल अनन पैलेस, छापरी चैक पोस्ट के पास, सुरपगला, तहसील– आबूरोड़, जिला– सिरोही में प्रतिवादी मैनेजर राजुसिंह पुत्र जीवनसिंह जी रावत से खाद्य पदार्थ पनीर को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत वास्ते नमूना जांच क्रय करने की कार्यवाही विधिवत की गई है। प्रकरण में खाद्य विश्लेषक, जोधपुर से खाद्य पदार्थ पनीर के नमूना संख्या S-2364 की प्राप्त विश्लेषण जांच रिपोर्ट क्रमांक:L.S./1189/Act/2024/1231 दिनांक 23–8–2024 में खाद्य पदार्थ पनीर का नमूना अमानक (Sub-standard) पाया गया है। पत्रावली के अवलोकन से यह तथ्य भी स्पष्ट है कि मैसर्स होटल अनन पैलेस, छापरी चैक पोस्ट के पास, सुरपगला, तहसील– आबूरोड़, जिला– सिरोही के प्रोपराईटर Rakesh Lalwani (प्रतिवादी संख्याः 2) है तथा प्रतिवादी राजुसिंह पुत्र जीवनसिंह जी रावत, उक्त मैसर्स होटल अनन पैलेस, छापरी चैक पोस्ट के पास, सुरपगला, तहसील– आबूरोड़, जिला– सिरोही में मैनेजर है। इस प्रकार, प्रकरण में पत्रावली के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि प्रतिवादी Rakesh Lalwani की प्रोपराईटरी फर्म मैसर्स होटल अनन पैलेस, छापरी चैक पोस्ट के पास, सुरपगला, तहसील– आबूरोड़, जिला– सिरोही में प्रतिवादी मैनेजर राजुसिंह पुत्र जीवनसिंह जी रावत द्वारा अमानक (Sub-standard) खाद्य पदार्थ पनीर का विक्रय करके खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) का उल्लंघन किया है जो उक्त अधिनियम की धारा 51 के तहत शास्ति (Penalty) योग्य अपराध है।

आदेश

अतः खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 51 के तहत अमानक (Sub-standard) खाद्य पदार्थ पनीर (नमूना संख्या S-2364) के विक्रय हेतु प्रतिवादी Rakesh Lalwani, प्रोपराईटर, मैसर्स होटल अनन पैलेस, छापरी चैक पोस्ट के पास, सुरपगला, तहसील– आबूरोड़, जिला– सिरोही पर राशि रुपये 40,000/– (अक्षरे रुपये चालीस हजार मात्र) की शास्ति (Penalty) अधिरोपित की जाती है। साथ ही, प्रतिवादी Rakesh Lalwani, प्रोपराईटरी, मैसर्स होटल अनन पैलेस, छापरी चैक पोस्ट के पास, सुरपगला, तहसील– आबूरोड़, जिला– सिरोही को आदेशित किया जाता है कि वह उक्त शास्ति (Penalty) की राशि का राष्ट्रीयकृत बैंक से न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, सिरोही के पक्ष में Crossed Demand Draft जिसका भुगतान सिरोही शहर में प्राप्त किया जा सके बनवाकर न्याय निर्णय अधिकारी एवं अति० जिला मजिस्ट्रेट, सिरोही के कार्यालय में 30 दिन के भीतर जमा करवाये। निर्णय/आदेश सुनाया गया।

(डॉ. राजेश गोयल)
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट,
सिरोही
(न्याय निर्णयन अधिकारी)